

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2018—आषाढ़ 8, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ-5-4-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 68) की धारा 10 की उपधारा (3) और धारा 30 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम के “अध्यक्ष की नियुक्ति (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2018” जो कि मध्यप्रदेश के राजपत्र में क्रमांक एफ-5-4-2013-उन्तीस-2, दिनांक 16 जनवरी 2018 में अधिसूचित की गई है; में निम्न संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

- (1) उक्त नियमों के नियम-1 के उपनियम (1) के स्थान पर नवीन उपनियम (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—
इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष के वेतन (मानदेय, भत्ते) एवं सेवा शर्तों नियम, 2018 है.
- (2) उक्त अधिसूचना के नियम-3, नियम-4, नियम-5, नियम-6, नियम-7, नियम-8, नियम-9 एवं नियम-12 विलोपित किए जाते हैं.
- (3) उक्त अधिसूचना का परिशिष्ट-एक को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2018

क्र. एफ-5-4-2013-उत्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-4-2013-उत्तीस-2, दिनांक 29 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 29th June 2018

No. F 5-4-2013-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 10 and sub-section (2) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes the following Amendments in the "Appointment of President of District Consumer Forum (Recruitment and other Services Conditions) Rules, 2018" notified *vide* 27 F 5-4-2013-XXIX-2, Dated 16th January 2018 in the Official Gazette of Madhya Pradesh, namely:—

AMENDMENTS

- (1) The sub-rule (1) of Rule 1 in the said Rules is substituted with the new sub-rule (1) as herein below:—
 - (1) These Rules may be called the Madhya Pradesh District Consumer Forum President's Salary (Honorarium, Allowances) and Service Conditions Rules, 2018.
- (2) The Rule 3, Rule 4, Rule 5, Rule 6, Rule 7, Rule 8, Rule 9 and Rule 12 of the said Rules are hereby deleted.
- (3) Annexure-1 of the said Rules is hereby deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.